

प्रेस-विज्ञापिथाना सिधारी

**50 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ 04 गिरफ्तार, 01 मोटर साईकिल, अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद, संगीन अपराधों में एक दर्जन से**

अधिक मुकदमें दर्ज

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब माफियों की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के प्रर्यवेक्षण में उ 0नि0 वंशराज सिंह मय हमराह उ 0नि0 दिग्विजय नाथ तिवारी, उ0नि0 जाफर खाँ, HC अवधेश सिंह, HC अजीत गौतम, का0 अभिमीत तिवारी, HC सत्येन्द्र सिंह के थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त में क्षेत्रीय परिवहन विभाग के वर्कशाप ग्राम समेंदा में सड़क पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की चार व्यक्ति इसरी का पोखरा समेंदा के पास आड में अवैध शराब, चोरी की मो0 सायकिल के साथ खड़े हैं जो उक्त शराब को अपमिश्रित कर घुम फिरकर बेचते हैं जो अपराधी किस्म के हैं और अपने पास अवैध असलहा भी रखते हैं। इनके इस कार्य से क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है। मुखबीर की बात पर विश्वास करके पुलिस टीम मुखबिर के साथ इसरी के पोखरा के तरफ चल दिये तथा कुछ पहले अपने सरकारी वाहन को आड में खड़ा कर छिपते छिपते आगे बढ़े कि खड़े चार व्यक्तियों की तरफ मुखबिर ने इशारा करके बताया कि वही व्यक्ति है जो अपमिश्रित शराब बेचते हैं व शराब एवं चोरी की मोटर साईकिल लिये हुए हैं मुखबीर बता कर वहां से हट बढ़ गया कि पुलिस टीम जब उन खड़े चार व्यक्तियों की तरफ बढ़े और उन्होंने पुलिस को देखा तो सकपका कर वहां से हटने लगे कि पुलिस टीम सतर्कता पूर्वक तेजी कर घेरकर उन चार व्यक्तियों को मौके पर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता बारी बारी पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम- कमलेश पाल S/O जगू पाल निवासी धनकपुर उर्फ भागमलपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी लिया गया तो एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 मिला। दूसरे ने अपना नाम रविकान्त यादव उर्फ बड़क S/O अशोक यादव ग्राम सर्फुद्दीनपुर PS सिधारी, आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष बताया जिससे उसके पास खडी मोटर साईकिल के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब इस मोटर साईकिल को कुछ महिना पहले रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से चोरी किया था साहब तभी से मैं इसका नम्बर प्लेट हटा कर चलता हूं तथा इसी से घूमफिर अपने साथियों के साथ शराब का अवैध धन्धा एवं रेंकी भी करते हैं। रविकान्त उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैंट के दाहिने जेब से पालिथीन में रखा यूरिया मिला। तीसरे ने अपना नाम सुनील यादव पुत्र शिवलोचन यादव निवासी बैठौली थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष बताया जिसकी तलाशी ली गयी तो बाये जेब से पालीथीन में रखा हुआ नौसादर मिला। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम सोनू राजभर S/O निन्हक ग्राम समेंदा Ps सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष बताया जिसकी तलाशी ली गयी तो पैंट के दाहिने जेब से पोलिथीन में रखा हुआ अलग- 2 नौसादर एवं यूरिया बरामद हुआ। पास में लिये गैलनों के बारे में कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि साहब हम लोग तो पकड़ ही लिये गये हैं। इन गैलनों में अपमिश्रित शराब भरी है। इसमें हम लोग यूरिया नौसादर मिलाकर तेजकर देते हैं हम लोगो की बिक्री बढ़ जाती है। हम लोग गिरोह बनाकर अपमिश्रित शराब बनाकर घुमफिकर कर बेचते हैं। पकड़े गये व्यक्तियों उपरोक्त का यह कार्य आपराधिक कृत्य मे आता है। जिनको गिरफ्तार कर उपयुक्त धाराओ मे चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

दिनांक 26.06.2021 को समय 08.05 बजे ग्राम समेंदा इसरी का पोखरा थाना सिधारी आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. कमलेश पाल S/O जगू पाल निवासी धनकपुर उर्फ भागमलपुर थाना सिधारी आजमगढ़
2. रविकान्त यादव उर्फ बड़क S/O अशोक यादव ग्राम सर्फुद्दीनपुर PS सिधारी, आजमगढ़
3. सुनील यादव पुत्र शिवलोचन यादव निवासी बैठौली थाना सिधारी आजमगढ़
4. सोनू राजभर S/O निन्हक ग्राम समेंदा Ps सिधारी जन0 आजमगढ़

बरामदगी

- 1- 50 लीटर अपमिश्रित शराब
- 3- एक अदद मोटर साईकिल पैशन प्लस, एक अदद तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या

1. मु0अ0सं0 143/2021 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 144/2021 धारा 411/413/414 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 145/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहासअभि0 कमलेश पाल S/O जगू पाल निवासी धनकपुर उर्फ भागमलपुर थाना सिधारी आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 102/19 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 131/19 धारा 41/411/413/419/420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 132/19 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

अभि0 रविकान्त यादव उर्फ बड़क S/O अशोक यादव ग्राम सर्फुद्दीनपुर PS सिधारी, आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 224/16 धारा 308/363 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 317/17 धारा 147/323 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 209/19 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 211/19 धारा 307 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 नील/19 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 नील/21 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिधारी आजमगढ़

अभि0 सुनील यादव पुत्र शिवलोचन यादव निवासी बैठौली थाना सिधारी आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 05/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 1064/08 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

3. मु0अ0स0 80/09 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु0अ0स0 935/10 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिधारी आजमगढ़
5. मु0अ0स0 244/17 धारा 384/435 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
6. मु0अ0स0 नील/19 धारा गुण्डा एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

**अभि0 सोनू राजभर S/O निन्हक ग्राम समेदा Ps सिधारी जन0 आजमगढ़**

1. मु0अ0स0 147/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0स0 122/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़

**गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 बंशराज सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 दिग्विजय नाथ तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़
4. उ0नि0 जाफर खाँ थाना सिधारी आजमगढ़
5. HC अवधेश सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
6. HC अजीत गौतम थाना सिधारी आजमगढ़
7. का0 अभिमीत तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़
8. HC सत्येन्द्र सिंह थाना सिधारी आजमगढ़